पत्र

पत्रांक भवन/मु0अ0(प0)यो0विविध 0 141/17 222 (1)/पटना दिनांक 12.1.18

(75)

# बिहार सरकार
## भवन निर्माण विभाग

साकेत कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय– द्वारका, नई दिल्ली में प्रस्तावित 'बिहार सदन' के निर्माण कार्य के योजना हेतु कुल ₹78.87करोड़ (अठहत्तर करोड़ सतासी लाख रुपये) मात्र का वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्य हेतु मुख्य अभियंता (निरुपण), भवन निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक– 822(नि.) अनु0 दिनांक 20.11.2017 से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर विषयांकित कार्य हेतु कुल ₹78.87/–करोड़ (अठहत्तर करोड़ सतासी लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2 इस कार्य पर व्यय की जानेवाली राशि का विकलन मांग संख्या–03 के मुख्य शीर्ष 4216–आवास पर पूँजीगत परिव्यय उपमुख्यशीर्ष–01–सरकारी रिहायशी भवन–लघु शीर्ष–700–अन्य आवास उपशीर्ष–0101–अन्य आवास विषयशीर्ष–0101.53.01–मुख्य निर्माण कार्य–विपत्र कोड–03–4216017000101 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से होगा।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभाग के लिए ससूचित योजना उदव्यय एवं बजट उपबंध के अधीन 10.00करोड़ (दस करोड़) तक व्यय सीमित रहेगा एवं शेष राशि ₹68.87करोड़ (अड़सठ करोड़ सतासी लाख रुपये) का व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 में किया जायेगा।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्थानिक अभियंता, बिहार भवन, नई दिल्ली होंगे।

5. इस राशि की निकासी कोषागार शाखा, बिहार भवन, नई दिल्ली से की जायेगी।

6. प्रस्तुत योजना की स्वीकृति मंत्रि परिषद द्वारा सं0सं0–भ0/मु0अ0(प0)यो0विविध08–141/17 के पृष्ठ–9/टि. पर दिनांक–21.11.2017 को प्रदान की गयी है जो संकल्प सं0–10864(भ) दिनांक 05.12.2017 द्वारा अधिसूचित हे।

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 दिनांक–03.01.2008 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

8. प्रारुप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0–भ0/मु0अ0(प0)यो0विविध08–141/17 के पृष्ठ–15/टि. पर प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय परिपत्र सं0 7355 वि0(2) दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इस राशि की निकासी में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

12.1.18

(साकेत कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव
पटना, दिनाक– 12.1.18

ज्ञापांक– 222 (1)/

प्रतिलिपि–वित्त विभाग(बजट शाखा) एवं कोषागार पदाधिकारी, कोषागार शाखा, बिहार भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.1.18

सरकार के संयुक्त सचिव
पटना, दिनाक– 12.1.18

ज्ञापांक– 222 (1)

प्रतिलिपि– स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पटना बिहार/निरुपण उपभाग, निदेशक, अनुश्रवण/मुख्य वास्तुविद/अभियता प्रमुख के सचिव प्रावैधिक/अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना/उप निदेशक–1 एवं 2 अनुश्रवण/स्थानिक अभियंता, बिहार भवन, नई दिल्ली/बजट पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, एटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.1.18

12.1.18

सरकार के संयुक्त सचिव

# बिहार सरकार
## भवन निर्माण विभाग
## संकल्प

विषयः— ₹78.87 करोड (अठहत्तर करोड सतासी लाख रूपये) की लागत पर द्वारका, नई दिल्ली, में प्रस्तावित "बिहार सदन" के निर्माण कार्य के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

द्वारका, नई दिल्ली मे गणमान्य अतिथियों एवं वरीय पदाधिकारियों के आवासन हेतु भवन निर्माण विभाग के द्वारा "बिहार सदन" के निर्माण कार्य की योजना कार्यान्वित की जानी है।

2. द्वारका, नई दिल्ली में डी0डी0ए0 द्वारा उपलब्ध कराये गये दो एकड भू–खण्ड पर चयनित परामर्शी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बिहार सदन का भवन बेसमेंट, भूतल के अलावा 10 (दस) मंजिल का होगा, जिसका कुर्सी क्षेत्रफल 14771.30 वर्ग मीटर का होगा। राज्य योजना के अन्तर्गत उक्त कार्य हेतु क्रमशः वित्तीय वर्ष 2017–18 मे ₹10.00 करोड तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 मे ₹68.87 करोड का व्यय किया जायेगा।

3. द्वारका, नई दिल्ली में निर्माण किये जाने वाले बिहार सदन की योजना पर राज्य मत्रि परिषद द्वारा दिनांक 21.11.2017 की बैठक में मद संख्या–17 के रुप में स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल ₹78.87 करोड (अठहत्तर करोड़ सतासी लाख रूपये) प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. इस योजना का व्यय मुख्य शीर्ष 4216–आवास पर पूँजीगत परिव्यय उपमुख्यशीर्ष–01–सरकारी रिहायशी भवन लघु शीर्ष–700–अन्य आवास उपशीर्ष–0101–अन्य आवास विषय शीर्ष 0101.53.01–मुख्य निर्माण कार्य–विपत्र कोड 03–4216017000101 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित कुल ₹1.00 अरब रुपये से वहन किया जायेगा।

5. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजना राज्य की उपलब्ध निधि से कार्यान्वित की जायेगी।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार सहित अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30/11/17

(चंचल कुमार)
प्रधान सचिव

पटना, दिनांक– 5.12.17

ज्ञापांक–भ0/मु0अ0(प0)यो0विविध–8–141/17 10864 (अ)

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को (दो हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ) बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संकल्प (संलग्न परिशिष्ट सहित) की पॉच सौ मुद्रित प्रतियॉ विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करायी जाए।

30/11/17

अनु0–यथोक्त।

प्रधान सचिव

पटना, दिनाक– 5.12.17

ज्ञापांक–भ0/मु0अ0(प0)यो0विविध–8–141/17 10864 (अ)

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार वीरचंद पटेल पथ, पटना को (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/11/17

प्रधान सचिव

25.11.17

भवन निर्माण विभाग

95

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक–10340 दिनांक–21.11.2017 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–21.11.2017 में मद संख्या–17 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

| | | |
|---|---|---|
| 17. | ₹ 78.87 करोड (अठहत्तर करोड सतासी लाख रूपये) की लागत पर द्वारका, नई दिल्ली में प्रस्तावित "विहार सदन" के निर्माण कार्य के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। | 17. स्वीकृत। |

21.11.17

(उपेन्द्र नाथ पाण्डेय)
सरकार के विशेष सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

23/11/17

23/11

23/11

प्रधान सचिव

शीघ्र

24/11/17